बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

सं0सं0:- 4680256 / पटना, दिनांक :- 06/10/2025

सं0सं0-R-504/16/2022-SECTION 14 RDD-RDD (COM NO-199222)

श्री प्रशांत कुमार प्रसून, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दुर्गावती (कैमूर) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, देसरी (वैशाली) के विरूद्ध सेवानिवृत पंचायत सचिव का नियोजन अवधि समाप्ति के पश्चात प्रभार आदान-प्रदान नहीं कराये जाने के कारण पंचायत सचिव द्वारा पंचम राज वित्त आयोग मद में मो० 5,20,000.00 (पांच लाख बीस हजार) रू० की अवैध निकासी किये जाने के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक-764 दिनांक-06.08.2022 से विभाग को आरोप पत्र प्राप्त हुआ । प्राप्त आरोप पत्र एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-1568241 दिनांक-13.02.2023 द्वारा श्री प्रशांत कुमार प्रसून के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-2929502 दिनांक-24.06.2024 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें उनके द्वारा आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री प्रशांत कुमार प्रसून के विरूद्ध धारित आरोप गंभीर प्रकृति के एवं सरकारी राशि की अवैध निकासी से संबंधित है ।

अतः सम्यक विचारोपरांत आरोपों की पुनः गहन जांच का निर्णय लिया जाता है ।

अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री प्रशांत कुमार प्रसून, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दुर्गावती (कैमूर) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, देसरी (वैशाली) के विरूद्ध धारित आरोपों की पुनः जांच हेतु श्री नन्द किशोर साह, अपर सचिव-सह- संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है। जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा नामित पदाधिकारी उपस्थापन पदाधिकारी होंगे।

श्री प्रशांत कुमार प्रसून से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में पुनः अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6.10.25

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Section-014\Year-2025\Office Order-2025\Notification(2025)-19 Re DP.doc

ज्ञापांक:- 4680256 / पटना, दिनांक :- 06/10/2025

संOसंO- R-504/16/2022-SECTION 14 RDD-RDD (COM NO-199222)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.10.25
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4680256 / पटना, दिनांक :- 06/10/2025

संOसंO- R-504/16/2022-SECTION 14 RDD-RDD (COM NO-199222)

प्रतिलिपि:- श्री नन्द किशोर साह, अपर सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को श्री प्रशांत कुमार प्रसून के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र एवं अन्य अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि अपने स्तर से आवश्यकतानुसार कागजात इत्यादि की मांग सक्षम स्थान/कार्यालय से करते हुए छः माह के अंदर विभागीय कार्यवाही संपन्न कर अपना प्रतिवेदन तथा कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेशफलक संलग्न कर अपना मंतव्य तीन प्रतियों में विभाग को कृपया प्रस्तुत करेंगे ।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

6.10.25
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4680256 / पटना, दिनांक :- 06/10/2025

संOसंO- R-504/16/2022-SECTION 14 RDD-RDD (COM NO-199222)

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, कैमूर एवं वैशाली/ उप विकास आयुक्त, कैमूर एवं वैशाली/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /श्री प्रशांत कुमार प्रसून, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दुर्गावती (कैमूर) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, देसरी (वैशाली) /आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, कैमूर से पुनः अनुरोध है कि जिला स्तर से किसी पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए संचालन पदाधिकारी के समक्ष उनके द्वारा सुनवाई की निर्धारित तिथि को उपस्थित रहने का निदेश देने की कृपा की जाय।

6.10.25
सरकार के संयुक्त सचिव